कार्यालय, प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश

ई–मेल: **asmcpratapgarh2020@gmail.com** वेबसाइट:**www.mramc.in, www.updgme.in**

पत्रांकः कैम्प/मे0का0प्र0/2021/336 दिनॉकः 27/03/2021

–:विज्ञप्तिः–

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में सीनियर रेजिडेण्ट के रिक्त पदों हेतु कतिपय विभागों में भर्ती वॉक–इन–इण्टरव्यू के माध्यम से भरा जाना है। वॉक–इन–इण्टरव्यू प्रधानाचार्य कार्यालय, राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर में दिनांकः 08.04.2021 को प्रात 10.00 बजे से आयोजित किया जाएगा। रिक्त पदों का विवरण निम्नवत हैः–

सीनियर रेजीडेन्ट के रिक्त पदों का विवरण

क0 सं0	विभाग का नाम	पदों की संख्या	पदों के आरक्षण का विवरण			
			अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
1	आर्थोपेडिक्स	01	--	--	01	--
2	आब्सट्रेटिक्स एण्ड गायनकोलॉजी	01	--	01	--	--
3	इमरजेन्सी मेडिसिन	06	02	02	01	01
4	एनेस्थीसियोलॉजी	01	--	--	01	--
5	जनरल मेडिसिन	02	--	01	01	--
6	जनरल सर्जरी	03	02	01	--	--
7	डर्मेटोलॉजी वेनेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी	01	--	--	--	01
8	रेडियो–डायग्नोसिस	02	01	01	--	--
9	साइकियाट्री	01	01	--	--	--
	कुल योग	**18**	**06**	**06**	**04**	**02**

नोटः– आरक्षित श्रेणी अभ्यर्थी न मिलने पर अनारक्षित श्रेणी अभ्यर्थी को आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी मिलने तक नियुक्त किया जा सकता है।

सीनियर रेजीडेन्ट के पदों के लिये अर्हताएं एवं शर्ते

1. सीनियर रेजीडेन्ट के पदों पर चयन हेतु पात्रता का निर्धारण एन0एम0सी0/एम0सी0आई0 मानकों के आधार पर किया जायेगा।
2. आवेदन को मेडिकल कौन्सिल ऑफ इण्डिया/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल कौन्सिल में स्थाई पंजीकृत होना चाहिए।
3. अभ्यार्थियों का चयन साक्षात्कार में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट से किया जायेगा।
4. साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
5. यह नियुक्तियॉ पूर्णतः अस्थायी है।
6. पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घट–बढ़ सकती है।
7. सीनियर रेजीडेट के पदों हेतु अभ्यर्थियों की आयु सीमा अधिकतम 45 वर्ष तक ही अनुमन्य है।
8. यदि कोई अभ्यर्थी सत्र 2021–22 हेतु किसी अन्य मेडिकल कालेज, में एन0एम0सी0/एम0सी0आई0 के निरीक्षण के समक्ष उपस्थिति हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में वह अभ्यर्थी वाक–इन इटरव्यू हेतु अर्ह नहीं है, तथा उक्त हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

प्रधानाचार्य